प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 12/2021)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''लो बिट रेट अनुप्रयोगों के लिए सेटेलाइट आधारित कनेक्टीविटी हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2021 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''लो बिट रेट अनुप्रयोगों के लिए सेटेलाइट आधारित कनेक्टीविटी हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग ने दिनांक 23 नवंबर, 2020 के अपने पत्र द्वारा भादूविप्रा से भादूविप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(क) के तहत ''वाणिज्यिक एवं कैप्टिव उपयोग हेतु सेटेलाइट आधारित लो बिट–रेट अनुप्रयोगों के प्रावधान को समर्थ बनाने के लिए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

3. प्रस्तावित सेटेलाइट आधारित लो बिट–रेट सेवाओं के संबंध में मौजूदा प्रावधानों की तंगियों को देखते हुए, दूरसंचार विभाग ने कहा है कि वाणिज्यिक एवं कैप्टिव उपयोग पर ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए उपयुक्त लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। इसके दृष्टिगत, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से सभी कारकों पर समग्र रूप से विचार करने और दूरसंचार विभाग के मौजूदा लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के तहत समर्थकारी प्रावधान या वाणिज्यिक एवं कैप्टिव उपयोग हेतु ऐसी सेवाओं के लिए प्रवेश शुल्क, बैंक गारंटी, एनओसीसी शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क/रॉयल्टी शुल्क आदि सहित नए लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क के संबंध में सुझाव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

4. इस संबंध में, भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर ''लो बिट रेट अनुप्रयोगों के लिए सेटेलाइट आधारित कनेक्टीविटी हेतु लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क'' पर एक परामर्श पत्र अपलोड किया गया है, जिसमें हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई हैं। हितधारक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां एवं प्रति–टिप्पणियां क्रमशः 9 अप्रैल, 2021 और 23 अप्रैल, 2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

5. टिप्पणियां/प्रति–टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा